"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002—कार्तिक 3, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 2509/2100/02/2/एक.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से. (1988) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ विशेष सचिव, संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 2536/क्यू./2002/एक/2.—डॉ. इंदिरा मिश्र, भा.प्र.से. (1969), अपर मुख्य सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

2. श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से. (1987), प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्रीमती रेणु पिल्ले, भा. प्र. से. (1991), संयुक्त सचिव, गृह एवं ग्रामोद्योग को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संयुक्त सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्रीमती पिल्ले स्वतंत्र रूप से ग्रामोद्योग विभाग के सभी कार्य देखेंगी एवं विभागीय मंत्री को सीधे रिपोर्ट करेंगी.

4. श्री सुब्रत साहू, भा. प्र. से. (1992), प्रबंध संचालक, छ. ग. स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लि. एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर एवं पदेन संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1430/2002/1-8/स्था.—श्री बृजेश चन्द्र मिश्र, उप-सचिव, छ. ग. शासन गृह, परिवहन एवं जेल विभाग को दिनांक 28-8-2002 से 16-9-2002 तक 20 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्र को पुन: गृह, परिवहन एवं जेल विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जनवरी 2002

क्रमांक 2035/1576/02/2/एक/लीव.—श्री विकास शील, कलेक्टर कोरिया को दिनांक 1-7-2002 से 5-7-2002 (5 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30-6-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विकास शील को कलेक्टर कोरिया के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री विकास शील को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास शील अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 1871/2002/1-8/स्था.—श्री के. के. बाजपेयी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 4-10-2002 से 11-10-2002 तक 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 से 15-10-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री बाजपेयी को अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती विभा चौधरी अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग देखेंगी.

3. अवकाश अवधि में श्री बाजपेयी को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. अवकाश से लौटने पर श्री बाजपेयी को पुन: सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बाजपेयी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1426/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव, को दिनांक 4-10-2002 से 11-10-2002 तक 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 से 15-10-2002 तक के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रघुवंशी को पुन: सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में उन्हें वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुवंशी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1428/2002/1-8/स्था.—श्री रामसिंह ठाकुर, उप-सचिव, को दिनांक 30-8-2002 से 20-9-2002 तक 22 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22-9-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर को पुन: अनु. जा./जन जा., पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री ठाकुर को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामसिंह ठाकुर यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-73/105/उशि/2002.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "आईसीएफएआई युनिवर्सिटी रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

2. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छ. ग.) में होगा.

3. राज्य शासन एतद्द्वारा "आईसीएफएआई युनिवर्सिटी रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की मान्यता या अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 27th September 2002

No. F-73/105/HE/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "ICFAI UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

2. The Head office of the University shall be at Raipur (C.G.).

3. The State Government, hereby, authorises "ICFAI UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognised or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

क्रमांक4944/18/2002.—राज्य शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-5 (क) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, अंबिकापुर जिला-सरगुजा की वर्तमान सीमा में अनुसूची-1 में दर्शाई गई अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है :—

अनुसूची-1

जिला सरगुजा की नगरपालिका परिषद्, अंबिकापुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों का विवरण राजस्व निम्नानुसार है :—

(1) ग्राम फुण्डुरडिहारी ग्राम पंचायत-फुण्डुरडिहारी : संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र

(2) ग्राम नमनाकलां ग्राम पंचायत-नमनाकलां : संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र

(3) ग्राम मणीपुर ग्राम पंचायत-मणीपुर : संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र

(4) ग्राम पंचपेड़ी ग्राम पंचायत-पचपेड़ी : संपूर्ण राजस्व क्षेत्र

(5) ग्राम मायापुर ग्राम पंचायत खैरवार : संपूर्ण राजस्व ग्राम

(6) ग्राम लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत जगदीशपुर : संपूर्ण राजस्व ग्राम

अनुसूची-2

अनुसूची-1 में दर्शित क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात् नगरपालिका के पुनरीक्षित व संशोधित सीमा निम्नानुसार है :—

उत्तर में	ग्राम-दिगमा, ग्राम-सर्गानवा, ग्राम पंचायत-सोनपुर, ग्राम-रनपुर की सीमा एवं नदी किनारे तक.
पश्चिम में	ग्राम पंचायत-बिशुनपुर, ग्राम-महावीरपुर एवं ग्राम-भगवानपुर की सीमा तक.
दक्षिण में	ग्राम पंचायत-जगदीशपुर, ग्राम संदबर से वन विभाग के बैरियर तक, ग्राम-हर्रा टिकरा तथा ग्राम-केशवपुर की सीमा तक.
पूर्व में	ग्राम पंचायत-खैरबार, ग्राम कांती प्रकाशपुर से तकिया रोड नाले तक.

Raipur, the 1 October 2002

No. 4944/18/2002.—In exercise of the powers conferred under clause (b) of Sub-Section (1) of Section 5-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, include following villages within the limits of Municipal Council, Ambikapur of Sarguja district, from the date of its notification in the Gazette as given in the Schedule-I :—

SCHEDULE-I

The details of the villages to be included within the limits of Jagdalpur Municipal Council :—

1.	Village Phundurdihari Grampanchayat Fhundurdihari.	Whole Grampanchayat Area.
2.	Village Namnakala Grampanchayat Namnakala.	Whole Grampanchayat Area.
3.	Village Manipur Grampanchayat Manipur	Whole Grampanchayat Area.
4.	Village Pachpedi Grampanchayat Pachpedi	Whole Revenue village.
5.	Village Mayapur Grampanchayat Khairbar	Whole Revenue village.
6.	Village Laxmipur Grampanchayat Jagdishpur	Whole Revenue village.

SCHEDULE-II

The revised boundaries of the Municipal Council Ambikapur will be as under :—

North	The boundary of village Digma, village Sarganawa, grampanchayat Sonpur, village Ranpur and the areas upto river bank.
West	The boundaries of grampanchayat Bishunpur village Mahavirpur and village Bhagwanpur.
South	The boundaries of grampanchayat Jagdishpur, village Sandbar upto forest barrier, village Harra Tikra and village Keshavpur.
East	The area upto Gutter (Nallah) at Takiya road and boundaries of grampanchayat Khairbar, village Kanti Prakshapur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉंड, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2002

क्रमांक 1610/10-एम/02/11/वा. उ.—इण्डियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन बालको. केप्टिव पावर प्लांट कोरबा यूनिट क्र. 1 के बायलर क्रमांक एम. पी./3694 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 24-4-2002 से 23-7-2002 तक तीन माह के लिये छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 एवं 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर की सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्यूलेटर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 9248/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रमाणित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा शासन आदेश, क्रमांक एफ- 3/38/गृह/2001, दिनांक 14-8-2001 जारी से—

1. नीचे दी गई सारणी के कालम नं. (2) में वर्णित थानों से उक्त सारणी के कालम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कालम (1) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कालम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र. (1)	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया (2)	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है (3)	ग्राम का नाम (4)	पटवारी हल्का बंदोबस्त क्र. वार्ड क्रमांक (5)
1.	थाना टिकरापारा तह. व जिला रायपुर	पुलिस चौकी विधायक विश्रामगृह थाना टिकरापारा तह. व जिला रायपुर.	1. अयोध्या अपार्टमेंट	वार्ड नं. 34
			2. प्रियदर्शनी नगर	114/124
			3. आम्रपाली कालोनी	114/124
			4. एम. आर. कालोनी	वार्ड नं. 35
			5. सर्वोदय नगर	114/124
			6. गुरूमुख सिंह नगर	114/124
			7. एस.बी.आई. कालोनी	वार्ड नं. 25
			8. गुरुघासीदास नगर	114/124

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 सितम्बर 2002

क्रमांक 1588/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	तुरमुड़ा प. ह. नं. 31	11.89	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदी पाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा, जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 639/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	सलेयाडीह	14.665	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 1, अ. पुर	डूबान क्षेत्र ग्राम सलेयाडीह

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 641/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	सलेयाडीह	7.751	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 1, अ. पुर	सलेयाडीह जलाशय का नहर निर्माण ग्राम सलेयाडीह.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 6 सितम्बर 2002

क्रमांक 6370/क/भू-अर्जन/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ), के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	बालपेट	0.82	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दंतेवाड़ा.	दंतेवाड़ा व्यपवर्तन योजना हेतु नहर/नाली निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	नारायणपाल	1.408	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोंडागांव.	नारायणपाल उद्वहन सिंचाई योजना की लघु नहर एवं उप-लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 4 अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-लेंजाखार, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.24 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	203/3	0.24
योग	1	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लेंजाखार माइनर नं. 1.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 5 अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-खड़ौदाकला, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.52 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
270/3, 271/3	0.26
270/2, 271/2	0.26
योग 2	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खड़ौदा माइनर नं. 1.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

क्र. 3 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-जेठूकापा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.724 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.291
42, 43, 44	0.218
45, 46, 47/2	0.214
योग 3	0.724

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

क्र. 4 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-मोहतरा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	158/2, 159/2	0.186
	160	0.307
	180	0.073
	178, 182/2	0.061
	188/1	0.049
	188/2	0.053
	187/1	0.004
	187/2	0.065
	191	0.073
	192/2, 192/7	0.161
योग	10	1.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

क्र. 18 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-चोरहा बुंदेली, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.356 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	17/6, 18/6	0.085
	17/2, 18/2	0.113
	18/1	0.081
	18/4	0.073
	19	0.004
योग	5	0.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

क्र. 21 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-चालान, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.498 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	23/1	0.121
	22	0.065
	20	0.089
	21	0.093
	18	0.053
	17	0.077
योग	6	0.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

क्र. 06/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-शक्तिबहरा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.703 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/1 छ	0.286
	1/1 झ	0.417
योग	2	0.703

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलगहना जलाशय कार्य के वेस्ट वियर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

क्रमांक 2150/भू-अर्जन/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-पाल

(ग) नगर/ग्राम-रामानुजगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.093 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
106/1	0.040
107	0.053
योग 2	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामानुजगंज वाड्रफनगर रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 244/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-ठुठी, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.498 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
654/1	0.389
335/2	0.020
654/2	0.073
654/3	0.081
621/33	0.117
621/31	0.190
571/2	0.494
518/1	0.101
513	0.012
326/2	0.105
576/3	0.138
571/6	0.073
330	0.028
576/2	0.158
621/38	0.121
593/2	0.036
593/3	0.117
594	0.085
595	0.093
598/2	0.028
598/3	0.073
512/2, 512/3, 522, 525	0.239
518/2	0.174
518/3	0.008
332/3	0.178
334	0.053
336/2	0.004
335/1 क	0.008
317/2	0.004

(1)	(2)
318/1	0.186
318/3	0.202
279/2	0.069
299/3	0.214
280/1	0.061
210/2	0.097
278/1	0.057
278/6	0.032
278/9	0.040
278/7	0.040
278/8	0.053
276/2	0.081
276/1	0.004
175/1	0.109
176/4, 177/4, 178/4	0.097
176/2, 177/2, 178/2	0.057
176/1, 177/1, 178/1	0.251
200	0.117
199	0.053
198	0.028
210/3	0.008
210/5	0.101
197	0.190
194/8, 195/8	0.032
194/1, 195/1	0.194
194/10, 195/10	0.121
194/4, 195/4	0.081
211/3	0.016
211/1	0.008
209/1	0.117
209/2	0.016
210/4	0.101
570/1	0.101
570/2	0.053
570/10	0.024
570/9	0.020
570/3	0.057
570/11	0.024
333	0.186
योग 68	6.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठुठी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 246/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित कियां जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-जैजेपुर, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.162 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5488	0.227
5489/1	0.049
5489/2	0.049
5494	0.077
5493	0.129

(1)	(2)
5490/2	0.077
5491/1	0.036
5491/2	0.032
5491/3	0.032
5867/1	0.405
5867/2	0.049
योग 11	1.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती शाखा नहर स्ट्रक्चर एवं निरीक्षण भवन निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 247/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोटेतरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.069 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
177/2	0.069
योग 1	0.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक 541/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथिया, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.926 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/1	0.020
12	0.048
13	0.073
56	0.276
48/2	0.032
74 75	0.121
52/1 51/1	0.146
72/2	0.008
57	0.004
47	0.004
54	0.028
48/3	0.032
53	0.008
221/1	0.040
85/1 85/2	0.137

(1)	(2)
85/3	0.057
1208	0.032
86/2	0.162
86/1	0.226
219/2	
220/2	0.319
225	0.053
1463	
223/2, 4	0.174
223/3	0.105
239/2	0.063
217	0.057
218	
239/4, 5	0.057
1209	0.141
1346	0.170
1207	0.311
1204	0.235
1205	0.170
1321/1	0.024
1316	0.069
1315	0.077
1321/2	
1317	0.016
1320	0.121
1335	0.158
1337/2	0.016
1341/1, 2	0.085
1345/1	0.016
1341/3	0.040
1608	0.113
1749	0.069
1341/4	0.008
1345/2	0.012
1447/2	0.045
1446	1.205
1464	0.158
1465	
1748	0.140
1185/2	0.008
1466	0.012
1460	0.073
1461	0.141
2008	0.089
1609	0.109
1612	0.024
2001	0.113
2002/2	
1998	0.129
1997	0.020
1746	0.057
1747	0.223
1611	
1750	0.146
1610	0.101
योग 73	6.926

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मलनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक 542/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159	0.133

(1)	(2)
161/2	0.049
161/3	0.049
162	0.028
163	0.004
160	0.049
165/13	0.032
165/14	0.045
165/9	0.101
176/3	0.032
175/2	0.081
174	0.040
173	0.008
172/2	0.049
167/2 167/3 167/7	0.012
171	0.133
187	0.032
188/2	0.097
190	0.061
191	0.036
192/1, 3	0.097
192/2	0.077
योग 22	1.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक 543/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-डड़ाई, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.562 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
41/1	0.045
41/2	0.049
42	0.049
43	0.036
44/5	0.061
44/4	0.016
46	0.061
45	0.004
48	0.089
52	0.089
62	0.121
73	0.053
72	0.004
71	0.065
105	0.061
107/2	0.061
107/1	0.049
108/1	0.028
118/1	0.024
117/5 117/7	0.061
142	0.121
143/3	0.036
143/9	0.032
143/10	0.081
143/8	0.081
146	0.081
159/2	0.073
145/3	0.008
159/7	0.061
159/4	0.081
388/1	0.089

(1)	(2)
387	0.004
382/3	0.121
382/2	0.162
380/1	0.129
376/2	0.049
377/1	0.016
377/3	0.089
377/2	0.049
378/1	0.032
372	0.028
371	0.020
368/1	0.081
369	0.012
योग 44	2.562

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक 544/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-मन्द्रागोढ़ी, प. ह. नं. 43

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.654 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.024
15	0.040
14	0.024
17	0.061
21	0.061
20	0.202
109	0.049
114	0.117
132	0.109
115	0.004
107	0.146
106	0.097
99	0.061
98	0.012
97	0.170
96	0.206
239	0.097
243	0.053
244	0.040
133	0.081
योग 20	1.654

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भक्तूडेरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक 545/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.966 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
67	0.061
68/6	0.346
143	0.089
142/2	0.085
149	0.202
148	0.049
156/1	0.061
155	0.105
151	
152	0.146
165/12	0.101
324	0.101
328	0.069
329	0.172
331	
332	0.089
333/1	0.024
333/2	0.028
336/1	0.028
335	0.061
340/1	0.036
341	0.073
342	0.008
339	0.008
180	0.024
योग 23	1.966

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बासीन सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 अगस्त 2002

क्रमांक 546/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मिरौनी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.910 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1243	0.020
1330	
1242/1	0.049
1241/1	0.040
1237/3	0.077
1237/2	0.012
1237/4	0.069
1230/4	0.077
1231/3	
1259/1	0.077
1259/2	
1260/1	0.024
1260/3	
1258/2	0.105
1263/1, 2	
1265/1	0.061
1265/2	0.081
1265/3	0.020
1271	0.194
1272/1	0.113
1272/2	0.077
1338/2	0.053
1272/3	0.049
1292/1	0.105
1291/3	0.036
1291/1	0.057
1241/2	0.040
1291/2	0.093
1282	0.069
1331	0.020
1335	0.073
1336	0.016

(1)	(2)
1338/3	0.069
1338/1	0.004
1338/2	0.045
1258/1	0.040
1258/4	0.045
योग 32	1.910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मरघटी सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 547/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-बम्हनीडीह, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.489 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2005/2	0.069
2007/2	0.028
2004/1	0.036
2006	0.057
2005/1	0.113
2014/1	0.186
योग 6	0.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोंड़ी शंकर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 548/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-बेल्हाडीह, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.942 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
297/2	0.004
299/1	0.020
310	0.053
309	0.012
313/1	0.081
306/3	0.081
314/1	0.032
314/2	0.040
372/4	0.049
372/1	0.053
370, 371	0.032
385/1	0.158
385/5	0.024
386, 387/1	0.020
387/2	0.036
387/3	0.024

	(1)	(2)
	389	0.045
	397/2	0.024
	390/1	0.069
	394/1	0.085
योग	20	0.942

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुलडीह माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 549/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नयाबाराद्वार, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.161 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	63/1	0.161
योग	1	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरेली डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 550/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-रिस्दा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.514 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	118/1	0.073
	117/2	0.016
	76/1	0.243
	77	0.049
	75/1	0.049
	75/2	0.024
	74	0.036
	72	0.024
योग	8	0.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिस्दा सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 551/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-सक्ती
 (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 17
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.602 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1018/1	0.134
1019/1	
1019/10	0.089
1019/11	0.101
1021/15	0.032
1021/14	0.032
1021/10	0.061
1021/9	0.032
1021/11	0.016
1021/12	0.057
1021/13	0.028
1021/8	0.020
योग 11	0.602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिस्दा सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 552/सा-1/सात.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-चाम्पा
 (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 7
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
406/5	0.061
406/6	0.202
406/4	0.223
406/3	0.243
406/8	0.053
406/9	0.121
406/11	0.049
406/12	0.129
योग 8	1.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिस्दा सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 553/सा-1/सात.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-चाम्पा
 (ग) नगर/ग्राम-रिस्दा, प. ह. नं. 7
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.882 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/1	0.061
117/1	0.161
121	0.016
122/3	0.162
212/5	0.117
212/4	0.142
212/3	0.040
177/1	0.069
177/3	0.057
177/4	0.057
योग 10	0.882

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिस्दा सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 554/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिछिया, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.292 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
196/1	0.032
196/2	0.040
197	0.073
198	0.008
201	0.069
202/1	0.028
203	0.065
204	0.040
205	
206	
213/1	0.016
226	0.024
227	0.081
228	0.142
233	0.134
231	0.012
234/1	0.053
355	0.012
191	0.049
194/2	
235	0.053
237	0.040
238	0.040
239	0.065
370/1	0.020
369	0.020
368/2	0.024
368/1	0.036
354/5	0.020
353	0.028
354/4	0.040
354/6 क	0.004
354/3	0.008
354/6 ख	0.004
354/7	0.004
354/10	0.008
योग 33	1.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 555/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमापाली, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.557 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.028
5	0.057
17/2	0.024
6/2	0.024
7/1	0.040
27/1	0.040
26	0.057
38/1	0.117
21	0.093
20	0.040
19/1	0.045
39	0.057
40	0.008
41/1	0.061
41/2	0.040
361/1	0.040
361/2	0.065
358/1	0.061
358/2	0.057
355/2	0.040
333	0.008
336	0.057
38/3	0.008
362	0.008
337/1	0.069
349	0.053
348	0.073
344	0.085
345	
343	0.097
442	
441	0.012
440	
444/1	0.113
444/2	0.028
444/3	
489	0.028
490	
487/2	0.028
486	0.020
482	0.020
481/3	0.045
480	0.008
481/1	0.061
478	0.089
479/3	
479/2	0.016
476	0.040
471	0.028
477	0.016
579/1	0.129
580	
579/2	0.012
585/2	0.057
585/1	0.008
989	0.028
988/1	0.008
588/1	0.028
586/1	0.073
591	0.032
592	0.028
593	0.016
595	0.053
599	0.045
596	0.016

(1)	(2)
342	0.016
577	0.008
योग 61	2.557

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 556/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-रैपुरा, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/5	0.089
योग 1	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लवसरा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 557/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-रैपुरा, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.190 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
860/1	0.121
858/1	0.069
योग 2	0.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरली सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 558/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-झरना, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	386/7	0.101
	386/2	0.093
योग	2	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 559/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-चारपारा, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.364 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	40	0.032
	38/2	0.061
	38/3	0.020
	38/4	0.024
	43/4	0.057
	36/2	0.105
	36/3	
	43/5	0.065
योग	7	0.364

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बम्हनीडीह डि. ब्यू. के बड़गड़ी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 560/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-बड़गड़ी, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.375 हेक्टेयर

खसरा मम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
396/2	0.089
396/1	0.214
406	0.081
407/1	0.105
407/4	

(1)	(2)
412	0.105
433/2	0.121
421	0.073
422	0.057
430	0.061
426	0.206
427	0.049
429	0.028
425	0.121
411	0.065
योग 14	1.375

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़गड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 561/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-मौहाडीह, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.621 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
442/1	0.081
440, 442/2	0.045
442/3	0.057
444/2	0.073
443/2	0.093
443/5	0.045
447/3	0.049
410/3	0.040
447/2	0.065
448/1	0.121
426/11	0.117
426/6	0.053
426/1	0.073
428	0.045
429/2	0.057
426/10	0.077
425/1, 425/2	0.093
419/2	0.028
419/4	0.024
412/2	0.045
417/3	0.065
416	0.049
411/2	0.182
410/6	0.012
410/4	0.032
योग 25	1.621

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मौहाडीह माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 562/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-झरना, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.110 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	608	0.061
	609/1	0.049
योग	2	0.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मौहाडीह माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 563/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-मुरलीडीह, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.470 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	285/3 285/4	0.069
	285/6	0.040
	282/3	0.004
	282/1	0.069
	282/2	0.061
	278/1	0.012
	279/3	0.081
	279/1	0.061
	279/2	0.073
योग	9	0.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मौहाडीह माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 564/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-कुम्हारीकला, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
82/18	0.032
98/5	0.012
98/4	0.045
97/8	0.049
97/7	0.045
95	0.142
97/4	0.036
13/4	0.040
13/6	0.036
योग 9	0.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारीकला माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 565/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-लछनपुर, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.170 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
223	0.061
213/1, 213/6	0.085
217/1	0.227
218/1	0.053
218/2	0.053
218/3	0.053
218/4	0.008
184/4	0.020
188/1	0.158
188/2	0.081
189/1	0.069
191	0.008
193/2	0.053
250	0.283
251/2	0.028
251/3	0.036
260/1	0.045
193/6	0.020
158	0.117
160/7	0.162
259	0.020
263/2	0.129
262	0.061
263/3	0.045
264/1	0.101
264/2	0.093
190	0.101
योग 27	2.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लछनपुर माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 566/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/5 31/6	0.069
30/1	0.057
30/4	0.012
30/2	0.004
55/13	0.036
55/11	0.057
29/12	0.057
57/1	0.405
57/3	0.081
57/4	0.004
57/5	0.040
61/1	0.049
62/2	0.049
62/8	0.024
62/3	0.040
50/2	0.202
55/1	0.053
67/2	0.097
योग 18	1.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरहर सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 567/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सकरेली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.747 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
867/4	0.008
874/3	0.137
875	0.157
877	0.032
871/2	0.028
879	0.028
876	0.045
785/1	0.069
884/1	0.162

(1)	(2)
884/2	0.028
885/9	0.149
900/1	0.008
899/2	0.028
899/1	0.069
898/2	0.032
921	0.302
922	0.122
923	0.105
927	0.117
928	0.053
929	0.008
869/1	0.016
878	0.020
883/1	0.024
योग 24	1.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरेली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 568/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
793	0.109
योग 1	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरेली डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 569/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नयाबाराद्वार, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95/1 96	0.101
योग 1	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरेली डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 570/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.767 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
774	0.012
776	0.012
767	0.069
773	0.049
772/1	0.057
772/2	0.061
770	0.004
769	0.109
760/1	0.105
760/2	0.065
761/2	0.065
761/4	0.024
753	0.085
751	0.105
749	0.020
748	0.004
750	0.028
746	0.004
747	0.105
742	0.255
732	0.028
740	0.004
734	0.045
733	0.020
731	0.008
471	0.121
470	0.117
467	0.004
474	0.182
योग 29	1.767

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरेली डि. ब्यू. के सरवानी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 571/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नगरदा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.569 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
712	0.089
758	0.117
760/2	0.165
760/1	0.129
760/3	0.069
योग 5	0.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारपारा सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 572/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-मौहाडीह, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.486 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66/13	0.174
66/17	0.093
66/26	0.194
66/27	0.162
66/28	0.049
66/31	0.202
66/32	0.012
164	0.129
165	0.089
166	0.008
172	0.040
173/1	0.012
173/2	0.012
173/3	0.012
178/1	0.036
174	0.008
179	0.032
180	0.024
181	0.032
182/1	0.040
183	0.012
185	0.008
186	0.049
195/1	0.008
261	0.049
योग 25	1.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भदरा डि. ब्यू. के भदरा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 573/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-पोंडीशंकर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.240 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/1	0.101
23/2	0.105
21/4	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
40/2, 41/1	0.097	225	0.016
38/5	0.040	226	0.040
24/1	0.036	231	0.049
24/2	0.121	232	0.008
30/1	0.214	230	0.109
30/2	0.057	229/1	0.016
30/6	0.032	1205/2	0.243
31/2	0.162	229/2	0.032
31/3	0.012	330/2, 330/3, 330/4	0.089
31/4	0.113	330/6	0.032
31/1	0.016	1212/2	0.036
29	0.081	332	0.012
38/6	0.105	331/1	0.105
38/1	0.129	320/1, 320/2	0.008
41/6	0.024	314/1	0.008
115	0.097	321	0.016
38/2	0.020	312	0.053
39/2	0.154	309/2	0.036
31/6	0.097	309/3	0.012
112/2	0.089	310/2	0.036
112/1	0.121	310/1	0.032
40/3	0.065	305/1	0.004
111	0.162	305/2	0.004
108/4, 108/3	0.061	305/3	0.004
114	0.223	306/1	0.040
109/4	0.202	306/2	0.040
109/6	0.061	304	0.065
109/5	0.142	303	0.057
176/1	0.073	1213/1	0.065
175	0.012	1216	0.073
171/1	0.012	1214/1	0.089
171/2	0.012	1211/5	0.020
170	0.016	1210/1, 1210/2	0.817
164/2	0.045	1201/4	0.081
164/1	0.421	22/1	0.008
219	0.081		
220	0.085		
163	0.020		
223	0.105	योग 78	6.240
233/1	0.032		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोंड़ीशंकर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 574/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनाईडीह, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.226 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
175	0.101
174	0.036
173	0.113
176	0.012
172	0.012
170	0.004
168	0.081
165/2	0.049
169	0.223
163/1	0.109
159	0.057
161	0.008
160	0.146
157	0.081
152	0.121
153	0.073
योग 16	1.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़गड़ी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 575/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-अवराडीह, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.085
योग 1	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मौहाडीह डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक 576/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-बंसुला , प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.180 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
260/1	0.267
260/2	0.032
265/1	0.121
265/2	0.049
265/4	0.016
265/5	0.016
265/6	0.016
255/1	0.012
255/2	0.024
255/3	0.028
255/4	0.061
254/1, 5	0.097
254/2	0.004
254/3	0.008
265/3	0.081
134/5, 3	0.016
266	0.117
274	0.227
308	0.012
560	
268/4	0.097
252/2	0.077
252/7	0.077
270/1	0.053
270/4	0.049
270/2	0.040
276/1	0.061
276/2	0.061
277/14	0.081
277/4, 5	0.057
277/1	0.081
278/2	0.101
246	0.166
245	0.085
243/7	0.649
243/1	0.166
309	0.134
559	
243/4	0.077
242/1	0.012
234/1	0.121
234/3	0.093
134/4	0.065
133/1	0.380
133/2	0.073
133/3	0.324
133/4	
133/5	
170/1	0.077
170/2	0.081
167/7	0.045
167/8	0.040
310	0.008
558	
374	0.113
171	0.012
167/3	0.012
138/2	0.006
योग 53	4.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंसुला माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक/848/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-मौहाभाठा , प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43	0.16
56	0.18
90	0.18
161	0.06
44/3	0.18
55	0.10
91	0.27
165	0.07
46	0.05
51	0.15
69	0.03
164	0.07
योग	1.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गाडाभाठा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक/849/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुरी , प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79	0.14
86	0.04
70/1	0.20
68	0.03
80	0.15
87	0.27
67	0.05
85	0.16
71/1	0.24
69	0.06
योग	1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत भरदा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 सितम्बर 2002

क्रमांक/859/प्र. 1/2002/1817.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-देऊरगांव; प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.22
5	0.02
207	0.05
208	0.05
38	0.09
180	0.01
194	0.02
200	0.09
282	0.05
287	0.09
2	0.01
206	0.06
7	0.05
35	0.06
40	0.15
181/1	0.06
198	0.06
205	0.09
283	0.03
275	0.02
3	0.19
6	0.12
34	0.10
37	0.07
39	0.11
193	0.09
199	0.05
204	0.12
284/1	0.16
योग	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरदा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 सितम्बर 2002

क्रमांक/860/प्र. 1/2002/1819.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुरी, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66	0.21
67/2	0.02
73	0.12
295	0.02
75	0.10
89	0.06
84/1	0.06

(1)	(2)
259/2	0.01
228	0.11
288	0.09
264	0.02
291	0.01
299	0.05
67/1	0.10
68/1	0.03
78	0.02
301	0.09
76	0.09
258	0.03
289/1	0.03
90	0.05
236	0.04
259/1	0.01
276	0.02
292	0.08
300/4	0.02
91/1	0.07
72	0.11
294	0.09
302	0.03
94	0.14
277	0.04
84/2	0.01
229	0.08
260	0.01
289/2	0.03
293	0.12
योग	2.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनपुरी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 सितम्बर 2002

क्रमांक/861/प्र. 1/2002/1821.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-साजा

(ग) नगर/ग्राम-मुंगलाटोला , प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57/2	0.01
202	0.01
225/2	0.02
229	0.03
205	0.01
221	0.01
411	0.02
214/1	0.03
180	0.10
174	0.01
176/1	0.02
402	0.02
408	0.01
415	0.01
226	0.03
225/1	0.02
227	0.05
224	0.01
407	0.05
212	0.01
213	0.01
214/2	0.03
136	0.04
137	0.04
178	0.06

(1)	(2)
403/1	0.01
410	0.04
418	0.04
228	0.04
203	0.04
211	0.02
215	0.03
220	0.07
206	0.04
409	0.03
204/3	0.06
173	0.01
175	0.01
128	0.24
406	0.04
177	0.03
419	0.12
योग	1.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनपुरी माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 सितम्बर 2002

क्रमांक/862/प्र. 1/2002/1823.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-बरगांव, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131	0.13
133	0.05
138	0.01
144	0.08
233	0.12
261	0.04
258	0.05
254	0.03
247	0.01
227	0.02
134	0.06
143	0.07
226	0.08
234	0.02
262	0.01
255	0.05
253	0.03
249/2	0.10
264	0.01
278	0.01
250	0.14
232	0.01
260	0.03
259	0.02
257	0.01
252	0.06
योग	1.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनपुरी माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 सितम्बर 2002

क्रमांक/863/प्र. 1/2002/1825.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-कुटरू, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.23
131	0.19
127	0.02
146	0.05
150	0.07
149	0.06
157	0.04
195/2	0.02
132	0.02
130/5	0.01
145	0.12
151	0.05
148	0.05
153	0.06
159/2	0.05
121	0.02
128	0.09
154	0.04
147	0.07
152	0.05
155/1	0.05
195/1	0.13
योग	1.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनपुरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक 28.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरबा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1118/1 क 1119/2 1144/6	0.101
योग 1	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायीं तट नहर के अंतर्गत बोल्डर पीचिंग एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक 29.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरबा , प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1116/3	0.182
1118/4	
1144/9	
योग 1	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायीं तट नहर के अतिरिक्त भूमि नहर निर्माण बोल्डर पिचिंग कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/3अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेडोंगर , प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.276 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
139/85	0.243
139/83	1.033
योग	1.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़ेडोंगर जलाशय क्रमांक 2 की उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक 2350/छै-वित्त-17/2002.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1693/छै-वित्त-17/2002 दिनांक 16-4-2002 एवं आदेश क्रमांक 2078/छै-वित्त-17/2001 दिनांक 8 मई, 2002 के अनुवर्तन में श्री एन. के. खाखा, अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर, जिला बस्तर को दिनांक 5-5-2002 से 17-5-2002 तक कुल 13 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. उनके अवकाश अवधि में श्री सुबोध सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपने कार्य के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

3. श्री एन. के. खाखा, अवकाश से लौटने पर पुनः अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री खाखा के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुबोध सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपर कलेक्टर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

4. श्री एन. के. खाखा, अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर को वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री खाखा, अर्जित अवकाश में प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर बने रहते.

6. उक्त अवकाश की स्वीकृति के पश्चात् उनके खाते में 197 दिनों का अर्जित अवकाश देय होगा.

जगदलदपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 4280/छै-वित्त-17/2002.—श्री एन. के. खाखा, अपर कलेक्टर, जगदलपुर/नारायणपुर जिला-बस्तर को दिनांक 22-5-2002 से 1-6-2002 तक कुल 11 दिनों का अर्जित अवकाश के साथ दिनांक 2-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री एन. के. खाखा, अवकाश से लौटने पर पुनः अपर कलेक्टर जगदलपुर/नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री एन. के. खाखा, अपर कलेक्टर जगदलपुर/नारायणपुर को वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री खाखा अर्जित अवकाश में प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर बने रहते.

5. उक्त अवकाश की स्वीकृति के पश्चात् उनके अवकाश खाते में 186 दिनों का अर्जित अवकाश देय होगा.

पी. सी. दलेई,
कमिश्नर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2002

क्रमांक 1331/भूअ/मुलि/50/2001.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ऋचा शर्मा, कलेक्टर, बस्तर जिला एतद्द्वारा 7 नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डलों का सृजन निम्नानुसार करती हूं :—

अ.क्र.	तहसील का नाम	वर्तमान रा. नि. मं. का नाम	अधीनस्थ पटवारी हल्कों की संख्या	ग्रामों की संख्या	नवीन रा. नि. मं. का नाम	अधीनस्थ पटवारी हल्कों की संख्या	ग्रामों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	जगदलपुर	चित्रकोट	10	82	बास्तानार	10	42
		भानपुरी	08	58	बस्तर	08	54
		बकावंड	09	65	करपावण्ड	05	36
		केशलूर	08	70	दरभा	11	61
2.	कोंडागांव	कोंडागांव	09	84	मर्दापाल	06	76
		फरसगांव	09	101	माकड़ी	06	85
3.	नारायणपुर	नारायणपुर	10	112	धौंड़ाई	06	61

जगदलपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2002

क्रमांक 1333/भूअ/मुलि/50/2001.—इस कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 2867/भूअ/मु.लि./50/2001, दिनांक 4-10-2001 के अनुसार बस्तर जिले में 7 नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डलों का सृजन किया गया था. इनमें नारायणपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम धौंड़ाई को राजस्व निरीक्षक मंडल का मुख्यालय निर्धारित किया गया था. राजस्व निरीक्षक मण्डल ग्राम धौंड़ाई के स्थान पर ग्राम छोटे डोंगर तहसील नारायणपुर को राजस्व निरीक्षक मण्डल धौंड़ाई का मुख्यालय निर्धारित किया जाता है.

ऋचा शर्मा,
कलेक्टर.

OFFICE OF THE COLLECTOR KORBA (C. G.)

AND EX-OFFICIO DY. SECRETARY LAW DEPARTMENT

Korba, 1st July 2002

No. 9092/वाचक/2002.—In exercise of power conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 LXV of 1872 read with Law Departments notification No. 17 (E) 40-49-इक्कीस-ब (दो) Dated 7th April/10th June 1999, the Collector and Ex-officio Dy. Secretary Law Department is pleased to grant a license to Mr. Samuel Nand pastor, Nasrath Mennonite Church, Podibahar Block Korba in Korba district.

(1) To solemnize marriage, and

(2) To grant certificates of marriage.

R. S. VISHWAKARMA,
Collector and Ex-officio Dy. Secretary.

कार्यालय, कलेक्टर, मंडी निर्वाचन, रायगढ़

रायगढ़, दिनांक 3 अगस्त 2002

क्रमांक मंडी. निर्वा./68/1232.—म. प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972/क्र. 24 सन् 1973/की धारा 11/1/घ एवं तत्संबंध में जारी राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक मंडी/निर्वा./बी-6/2/77 दिनांक 27-3-2001 के निर्देशानुसार माननीय श्री विष्णु देव साय संसद सदस्य/लोक सभा, रायगढ़ द्वारा रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उपज मंडी रायगढ़ की सदस्यता का विकल्प प्रस्तुत किया है. एवं माननीय सांसद द्वारा कृषि उपज मंडी, रायगढ़ के प्रतिनिधित्व हेतु श्री राजेन्द्र अग्रवाल आत्मज पन्ना लाल अग्रवाल कबीर चौक रायगढ़ को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है.

अत: श्री राजेन्द्र अग्रवाल को सांसद प्रतिनिधि मान्य किया जाता है.

सुबोध कुमार सिंह,
रायगढ़.

उच्च न्यायालय के आदेश एवं अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th September 2002

No. 4890/Confdl./2002/II-2-1-2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, temporarily appoints Shri Radheshyam Sharma, Special Judge (Prevention of Atrocities Act). Bastar (Jagdalpur) and Smt. Maitrai Mathur Special Judge (Prevention of Atrocities Act), Rajnandgaon as officiating District & Sessions Judge of Bastar & Rajnandgaon Civil Districts respectively until the posting of regular District & Sessions Judges. They shall discharge the duties of Special Judge also under the Scheduled Castes & Schedules Tribes (Prevention of Atrocities) Act. 1989 besides discharging the duties of District & Sessions Judge. As soon as regular District & Sessions Judges are appointed at Bastar and Rajnandgaon respectively, Shri Radheshyam Sharma and Smt. Maitrai Mathur shall revert to their original post.

Bilaspur, the 23rd September 2002

No. 5032/II-15-22/2001.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (10) of Section 11 of the Arbitrators and Conciliation Act, 1996 (hereinafter referred to as the Act), Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following Scheme :—

1. Short Title—This Scheme may be called the Scheme for Appointment of Arbitators by the Chief Justice Chhattisgarh High Court, 2002.

2. Submission of request—The request under Sub-section (4) of Sub-section (5) or Sub-section (6) of Section 11 of the Act shall be made in writing, signed and verified and accompanied by :—

(a) Original arbitration agreement or a duly certified copy thereof,

(b) the names and addresses of the parties to the arbitration agreement;

(c) the names and addresses of the arbitrators, if any, already appointed;

(d) the name and address of the person or institution, if any, to whom or which any function has been entrusted by the parties to the arbitration agreement under the appointment procedure agreed upon by them;

(e) the qualification required, if any, of the arbitratiors by the agreement of the parties;

(f) a brief written statement describing the general nature of the dispute and the points at issue;

(g) the relief or remedy sought; and

(h) an affidavit, supported by the relevant documents to the effect that the condition to be satisfied under Sub-section (4) or Sub-section (5) or Sub-section (6) of Section 11 of the Act, as the case may be, before making the request has been satisfied and how it has been so satisfied.

3. Authority to deal with the request—

(1) For the purpose of dealing with the request made under paragraph 2 the Chief Justice hereby designate the District Judge/Additional District Judges, where the value of the subject matter does not exceed 25 lakes rupees;

(2) The request involving the subject matter exceeding 25 lakes rupees shall be dealt with by the Chief Justice himself or he may designate any Judge of the High Court for this purpose by a general or special order.

(3) The request falling under Sub-para (1) shall be placed before the District Judge for appropriate allotment and the requests failling under Sub-para (2) shall be placed before the Chief Justice or his designate.

4. Requests and communications to be sent to Additional Registrar (Judicial)—

(1) All requests under this Scheme and communications relating thereto, which are addressed to the Chief Justice, shall be presented to the Additional Registrar (Judicial) of the High Court, who shall maintain a separate Register of such requests and communications.

(2) The Additional Registrar (Judicial) shall examine the memo of request and submit report to the Chief Justice or to his designate, as the case may be, as to whether the request has been made in accordance with paragraph 2 and payment of Court fee in accordance with paragraph 10.

5. Seeking further information—The Chief Justice or his designate may seek such further information or clarification or documents from the party making the request under this Scheme as he may deem fit and the party making the request shall file as many copies of the written information or clarifications or copies of documents as may be required.

6. Rejection of—Where the request made by any party is not in accordance with the provisions of this Scheme, the Chief Justice or his designate may reject the same.

7. Notice to affected persons—Where the request is not rejected under paragraph 6, the Chief Justice or his designate shall direct that a notice of the application be given to all the parties to the arbitration agreement and to such other person or persons likely to be affected by such request to show cause within the time specified in the notice as to why the appointment of the arbitrator(s) or the measures proposed to be taken should not be made or taken and such notice shall be accompanied by copies of all documents referred to in paragraph 2 or, the information or clarification or copies of documents, if any, sought under paragraph 5, as the case may be.

8. Intimation of action taken on request—The appointment made or measures taken by the Chief Justice or his designate shall be communicated in writing to :—

(a) the parties to the arbitration agreemnt.

(b) the arbitrator, if any, already appointed by the parties to the arbitration agreement.

(c) the person or the institution referred to in paragraph 2(d) and

(d) the arbitrator appointed in pursuance of the request.

9. Delivery & Receipt of Written Communication—The provisions of Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Act shall, so far as may be, apply to all written communications received or sent under this Scheme.

10. Costs for processing requests—A request under paragraph 3 (1) shall be accompanied by court fee stamps or Rs. 1,000/- and under paragraph 3 (2) by Rs. 2,000/-

11. Interpretations—If any question arises with reference to the interpretation of any of the provisions of this Scheme, the question shall be referred to the Chief Justice whose decision shall be final.

12. Power to amend the Scheme—The Chief Justice may from time to time amend by way of addition or variation
any provision of this Scheme.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2002

क्रमांक 5034/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 1042/तीन-6-1/2000, दिनांक 12 फरवरी 2002 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्नसारणी के स्तंभ (2) में दर्शित न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेलवे एक्ट, 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेलभूमि के उस भाग, जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ (4) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित हैं, में होने वाले अपराधों के जांच एवं विचारण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधूिसचना क्रमांक 2117/इक्कीस-ब (छ. ग.)/2001, दिनांक 16 मई 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1.	श्री बलिन्दर सिंह सलूजा	बिलासपुर	बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा-स्थान अंबिकापुर.

Bilaspur, the 23rd September 2002

No. 5034/III-6-1/2000.—In exercise of the powers Conferred by Sub-section (2) of Section, 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in superession of its notification No. 1042/III-6-1/2000, dated 12th February, 2002 the High Court of Chhattisgarh, hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Chhattisgarh under Section, 11 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs, Department Notification No. 2117/21-B (C.G.)/2001, dated 16th May 2001 for enquiry and trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act ,1989 (Act No. 24 of 1989) arising out of the Railway Lands running through the territories of Civil Districts shwon in column No. (4) of the said with effect from the date of his assuming charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Area (4)
1.	Shri Balinder Singh Saluja	Bilaspur	Bilaspur, Raigarh Raipur, Saurguja at Ambikapur.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार

Bilaspur, the 25th September 2002

No. 5064/II-2-1/2002 (Pt-II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India read with Sub-section (1) of Section 8 and Sub-section (2) of Section 12 of the M. P. Civil Courts Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh hereby, transfers the following Civil Judge Class-II as specified in column No. (2) in the same capacity from the place shown at column No. (3) and posts them at the place and post mentioned against their name in column No. (4) & (6) respectively from the date they assume charge of their Office, viz :—

TABLE

Sl.No. (1)	Name Remarks (2)	From (3)	To (4)	District (5)	(6)
1.	Shri Pradeep Kumar Singh,	Baloda-Bazar.	Sarangarh	Raigarh	As Civil Judge, Class-II in the vacant Court.
2.	Shri Thomas Ekka	Surajpur	Baloda-Bazar.	Raipur	As Additional Judge to the Court of Civil Judge, Class-II in place of Shri Pradeep Kumar Singh.

By order of the High Court,
T. K. JHA, Registrar (Vigilance).